

PA-ADME Audit Party No. 1 (Lead Party)

- ny ds l nL; 1.Sh. Santosh Pathak/Sr AO (01/6219)
 2.Sh. Anilendra Awasthi/AAO (02/10512)
 3.Sh. Ajay Kumar Vyas/AAO (02/10361)
 4.Sh. Ajit Singh Tomar/AAO (02/10577)

Ø-	dk; kly;	dk; l fnol	vof/k
i .LFkku% Hkksí ky		fnukad 27-06-21	
	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति एवं सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक	10	28.06.2021 से 09.07.2021
i .LFkku% jhok		fnukad 10-07-21	
	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति एवं सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक	14	12.07.2021 से 30.07.2021
i .LFkku% Xokfy; j		fnukad 30-07-2021 ½ kf=½@31-07-2021	
Total days		24	
अवकाश :- जून-27 जुलाई- 3,4,10,11,17,18,21,24,25,31			

दीप-

- पी.ए के लिए कवरेज अवधि तीन वर्ष अर्थात् वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक की होगी।
- लेखा परीक्षा दल द्वारा समीक्षा से सम्बन्धित अनुमोदित ए.डी.एम. गाईड लाईन के अनुसार औषधि एवं उपकरणों की चिकित्सा संस्थानों में क्रय, उपयोग, उपलब्धता, भण्डारण, आदि के समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कॉपी/फोटो कॉपी एकत्र कर उनका विस्तृत विश्लेषण मुख्यालय पर किया जावेगा। समीक्षा से सम्बन्धित आवंटन-व्यय, बैंक लेन-देन, रोकड़ बही, पंजीयों, क्रय आदेश, टेस्ट रिपोर्ट, चालान, इनवॉइस, इस्यू वाउचर, इनडेण्ट, नोटशीट, नस्ती आदि के अतिरिक्त MIS, E-Aushadhi Portal से जानकारी की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में प्राप्त करेंगे।
- डॉक्टर सर्वे, पेंपट सर्वे, ए.डी.एम के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में करना सुनिश्चित करें।
- भण्डारों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया जाना एवं दवाईयों का भण्डार में प्राप्ति/वितरण की जांच सुनिश्चित करें।
- प्रथम दिन इकाई के प्रमुख के साथ प्रारंभिक बैठक में पी.ए के उद्देश्यों एवं लेखापरीक्षा के संबंध में चर्चा कर तथा बैठक का कार्यवृत्त ई-मेल के माध्यम से मुख्यालय अनुभाग को प्रेषित करें तथा अंतिम दिन समापन बैठक में पी.ए के दौरान अप्रस्तुत एवं अप्राप्त अभिलेख/ज्ञापन का उल्लेख करते हुए बैठक का कार्यवृत्त ई-मेल के माध्यम से मुख्यालय को प्रेषित करें।
- PA दल PA से संबंधित योजना/कार्यों का समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कॉपी/फोटो कॉपी एकत्रित करेंगे एवं पी.ए से संबंधित आवंटन-व्यय, बैंक लेन-देन, रोकड़ बही, पंजियां, फाइलें, कार्य पंजियों के अतिरिक्त PFMS, MIS, Portals से जानकारी की हार्ड एवं सॉफ्टकॉपी में एकत्र करेगा।
- PA के दौरान आधार अभिलेखों का स्केनिंग समुचित रूप से करें ताकि दुबारा आधार अभिलेखों के लिए इकाई पर नहीं जाना पड़े।
- PA के दौरान वांछित अभिलेखों को स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए मांग की जाएं। योजना/नियम अनुसार संधारित होनेवाले अभिलेख/पंजी संधारित न होने एवं वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर तत्काल समूह अधिकारी को सूचित करें।
- पी.ए की लीड पार्टी द्वारा दिए गए निर्देशों/चेकलिस्ट/Guidelines के अनुसार कार्य किया जाना सुनिश्चित करें।
- Any other work as and when directed by higher authorities should also be done by the team members.
- Party is directed to collect information/data from the units without issuing Memos (HM) and will thereafter do the data analysis at headquarter.
- The audit parties shall follow covid-19 related government guidelines issued/revised from time to time.If any issue arises, they should immediately inform to DAG.

½ kf/kdkj%&i /kku egkys[kkdkj ds vkns k fnukad 25-06-2021)

s.d./-
 उप महालेखाकार
 एएमजी-2

PA-ADME Audit Party No. 2

- ny ds l nL; 1.Sh. R K Arora /Sr AO (01/10117)
 2.Sh. Gautma Verma/AAO (02/6752)
 3.Sh. Rajesh Kumar/AAO (02/11072)
 4.Sh. N C Meena/AAO (02/10654)

Ø-	dk; kly;	dk; l fnol	vof/k
	i LFkku% mTt&u	fnukad 27-06-21	
	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति एवं सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक	10	28.06.2021 से 09.07.2021
	i LFkku% gjnk	fnukad 10-07-21	
	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति एवं सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक	14	12.07.2021 से 30.07.2021
	i LFkku% Xokfy; j	fnukad 30-07-2021	¼ kf=½@31-07-2021
	Total days	24	
	अवकाश :- जून-27 जुलाई- 3,4,10,11,17,18,21,24,25,31		

दीप-

- पी.ए के लिए कवरेज अवधि तीन वर्ष अर्थात् वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक की होगी।
- लेखा परीक्षा दल द्वारा समीक्षा से सम्बन्धित अनुमोदित ए.डी.एम. गार्डर्ड लाईन के अनुसार औषधि एवं उपकरणों की चिकित्सा संस्थानों में क्रय, उपयोग, उपलब्धता, भण्डारण, आदि के समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कॉपी/फोटो कॉपी एकत्र कर उनका विस्तृत विश्लेषण मुख्यालय पर किया जावेगा। समीक्षा से सम्बन्धित आवंटन-व्यय, बैंक लेन-देन, रोकड़ बही, पंजीयों, क्रय आदेश, टेस्ट रिपोर्ट, चालान, इनवॉइस, इस्यू वाउचर, इनडेण्ट, नोटशीट, नस्ती आदि के अतिरिक्त MIS, E-Aushadhi Portal से जानकारी की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में प्राप्त करेंगे।
- डॉक्टर सर्वे, पेंपेंट सर्वे, ए.डी.एम के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में करना सुनिश्चित करें।
- भण्डारों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया जाना एवं दवाईयों का भण्डार में प्राप्ति/वितरण की जांच सुनिश्चित करें।
- प्रथम दिन इकाई के प्रमुख के साथ प्रारंभिक बैठक में पी.ए के उद्देश्यों एवं लेखापरीक्षा के संबंध में चर्चा कर तथा बैठक का कार्यवृत्त ई-मेल के माध्यम से मुख्यालय अनुभाग को प्रेषित करें तथा अंतिम दिन समापन बैठक में पी.ए के दौरान अप्रस्तुत एवं अप्राप्त अभिलेख/ज्ञापन का उल्लेख करते हुए बैठक का कार्यवृत्त ई-मेल के माध्यम से मुख्यालय को प्रेषित करें।
- PA दल PA से संबंधित योजना/कार्यों का समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कॉपी/फोटो कॉपी एकत्रित करेंगे एवं पी.ए से संबंधित आवंटन-व्यय, बैंक लेन-देन, रोकड़ बही, पंजियां, फाइलें, कार्य पंजियों के अतिरिक्त PFMS, MIS, Portals से जानकारी की हार्ड एवं सॉफ्टकॉपी में एकत्र करेगा।
- PA के दौरान आधार अभिलेखों का स्केनिंग समुचित रूप से करें ताकि दुबारा आधार अभिलेखों के लिए इकाई पर नहीं जाना पड़े।
- PA के दौरान वांछित अभिलेखों को स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए मांग की जाएं। योजना/नियम अनुसार संधारित होनेवाले अभिलेख/पंजी संधारित न होने एवं वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर तत्काल समूह अधिकारी को सूचित करें।
- पी.ए की लीड पार्टी द्वारा दिए गए निर्देशों/चेकलिस्ट /Guidelines के अनुसार कार्य किया जाना सुनिश्चित करें।
- Any other work as and when directed by higher authorities should also be done by the team members.
- Party is directed to collect information/data from the units without issuing Memos (HM) and will thereafter do the data analysis at headquarter.
- The audit parties shall follow covid-19 related government guidelines issued/revised from time to time.If any issue arises, they should immediately inform to DAG.

¼ kf/kdkj%&i /kku egkys[kkdkj ds vkns k fnukad 25-06-2021)

s.d./-
 उप महालेखाकार
 एएमजी-2

PA-ADME Audit Party No. 3

- ny ds l nL; 1.Sh. Kaushal Kishore/Sr AO (01/6399)
 2.Sh. Anshul Singh/AAO (02/10972)
 3.Sh. Rajesh Kumar/AAO (02/6769)
 4.Sh. Deepak Singh/Ar (04/11395)

Ø-	dk; kly;	dk; lfnol	vof/k
i LFku%okfy; j		fnukad 28-06-21 i kr%	
	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति एवं सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक	10	28.06.2021 से 09.07.2021
i LFku% Nrj i j		fnukad 10-07-21	
	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति एवं सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक	14	12.07.2021 से 30.07.2021
i LFku% Xokfy; j		fnukad 30-07-2021 %j kf=%@31-07-2021	
Total days		24	
अवकाश :- जून-27 जुलाई- 3,4,10,11,17,18,21,24,25,31			

दीप-

- पी.ए के लिए कवरेज अवधि तीन वर्ष अर्थात् वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक की होगी।
- लेखा परीक्षा दल द्वारा समीक्षा से सम्बन्धित अनुमोदित ए.डी.एम. गार्ड लाईन के अनुसार औषधि एवं उपकरणों की चिकित्सा संस्थानों में कय, उपयोग, उपलब्धता, भण्डारण, आदि के समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कॉपी/फोटो कॉपी एकत्र कर उनका विस्तृत विश्लेषण मुख्यालय पर किया जावेगा। समीक्षा से सम्बन्धित आवंटन-व्यय, बैंक लेन-देन, रोकड बही, पंजीयों, कय आदेश, टेस्ट रिपोर्ट, चालान, इनवॉइस, इश्यू वाउचर, इनडेण्ट, नोटशीट, नस्ती आदि के अतिरिक्त MIS, E-Aushadhi Portal से जानकारी की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में प्राप्त करेंगे।
- डॉक्टर सर्वे, पेंषट सर्वे, ए.डी.एम के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में करना सुनिश्चित करें।
- भण्डारों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया जाना एवं दवाईयों का भण्डार में प्राप्ति/वितरण की जांच सुनिश्चित करें।
- प्रथम दिन इकाई के प्रमुख के साथ प्रारंभिक बैठक में पी.ए के उद्देश्यों एवं लेखापरीक्षा के संबंध में चर्चा कर तथा बैठक का कार्यवृत्त ई-मेल के माध्यम से मुख्यालय अनुभाग को प्रेषित करें तथा अंतिम दिन समापन बैठक में पी.ए के दौरान अप्रस्तुत एवं अप्राप्त अभिलेख/ज्ञापन का उल्लेख करते हुए बैठक का कार्यवृत्त ई-मेल के माध्यम से मुख्यालय को प्रेषित करें।
- PA दल PA से संबंधित योजना/कार्यों का समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कॉपी/फोटो कॉपी एकत्रित करेंगे एवं पी.ए से संबंधित आवंटन-व्यय, बैंक लेन-देन, रोकड बही, पंजियां, फाइलें, कार्य पंजियों के अतिरिक्त PFMS, MIS, Portals से जानकारी की हार्ड एवं सॉफ्टकॉपी में एकत्र करेगा।
- PA के दौरान आधार अभिलेखों का स्केनिंग समुचित रूप से करें ताकि दुबारा आधार अभिलेखों के लिए इकाई पर नहीं जाना पड़े।
- PA के दौरान वांछित अभिलेखों को स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए मांग की जाएं। योजना/नियम अनुसार संधारित होनेवाले अभिलेख/पंजी संधारित न होने एवं वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर तत्काल समूह अधिकारी को सूचित करें।
- पी.ए की लीड पार्टी द्वारा दिए गए निर्देशों/चेकलिस्ट/Guidelines के अनुसार कार्य किया जाना सुनिश्चित करें।
- Any other work as and when directed by higher authorities should also be done by the team members.
- Party is directed to collect information/data from the units without issuing Memos (HM) and will thereafter do the data analysis at headquarter.
- The audit parties shall follow covid-19 related government guidelines issued/revised from time to time.If any issue arises, they should immediately inform to DAG.

%i kf/kdkj%&i /kku egkys[kdkj ds vkn's k fnukad 25-06-2021)

s.d./-
 उप महालेखाकार
 एएमजी-2

PA-ADME Audit Party No. 4

ny ds l nL; 1.Sh. Rakesh Srivastava/Sr AO (01/6751)
2.Sh. S K Misra/AAO (02/10384)
3.Sh. B L Meena/AAO (02/10581)

Ø-	dk; kÿ;	dk; l fnol	vof/k
i .LFkku%kkj		fnukad 27-06-21	
	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति एवं सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक	10	28.06.2021 से 09.07.2021
i .LFkku&cMokuh		fnukad 10-07-21	
	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति एवं सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक	14	12.07.2021 से 30.07.2021
i .LFkku% Xokfy; j		fnukad 30-07-2021	½ kf=½@31-07-2021
Total days		24	
अवकाश :- जून-27 जुलाई- 3,4,10,11,17,18,21,24,25,31			

दीप-

- पी.ए के लिए कवरेज अवधि तीन वर्ष अर्थात् वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक की होगी।
- लेखा परीक्षा दल द्वारा समीक्षा से सम्बन्धित अनुमोदित ए.डी.एम. गार्डर्ड लाईन के अनुसार औषधि एवं उपकरणों की चिकित्सा संस्थानों में कय, उपयोग, उपलब्धता, भण्डारण, आदि के समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कॉपी/फोटो कॉपी एकत्र कर उनका विस्तृत विश्लेषण मुख्यालय पर किया जावेगा। समीक्षा से सम्बन्धित आवंटन-व्यय, बैंक लेन-देन, रोकड बही, पंजीयों, कय आदेश, टेस्ट रिपोर्ट, चालान, इनवॉइस, इस्यू वाउचर, इनडेण्ट, नोटशीट, नस्ती आदि के अतिरिक्त MIS, E-Aushadhi Portal से जानकारी की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में प्राप्त करेंगे।
- डॉक्टर सर्वे, पेंपट सर्वे, ए.डी.एम के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में करना सुनिश्चित करें।
- भण्डारों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया जाना एवं दवाईयों का भण्डार में प्राप्ति/वितरण की जांच सुनिश्चित करें।
- प्रथम दिन इकाई के प्रमुख के साथ प्रारंभिक बैठक में पी.ए के उद्देश्यों एवं लेखापरीक्षा के संबंध में चर्चा कर तथा बैठक का कार्यवृत्त ई-मेल के माध्यम से मुख्यालय अनुभाग को प्रेषित करें तथा अंतिम दिन समापन बैठक में पी.ए के दौरान अप्रस्तुत एवं अप्राप्त अभिलेख/ज्ञापन का उल्लेख करते हुए बैठक का कार्यवृत्त ई-मेल के माध्यम से मुख्यालय को प्रेषित करें।
- PA दल PA से संबंधित योजना/कार्यों का समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कॉपी/फोटो कॉपी एकत्रित करेंगे एवं पी.ए से संबंधित आवंटन-व्यय, बैंक लेन-देन, रोकड बही, पंजियां, फाइलें, कार्य पंजियों के अतिरिक्त PFMS, MIS, Portals से जानकारी की हार्ड एवं सॉफ्टकॉपी में एकत्र करेगा।
- PA के दौरान आधार अभिलेखों का स्केनिंग समुचित रूप से करें ताकि दुबारा आधार अभिलेखों के लिए इकाई पर नहीं जाना पड़े।
- PA के दौरान वांछित अभिलेखों को स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए मांग की जाएं। योजना/नियम अनुसार संधारित होनेवाले अभिलेख/पंजी संधारित न होने एवं वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर तत्काल समूह अधिकारी को सूचित करें।
- पी.ए की लीड पार्टी द्वारा दिए गए निर्देशों/चेकलिस्ट/Guidelines के अनुसार कार्य किया जाना सुनिश्चित करें।
- Any other work as and when directed by higher authorities should also be done by the team members.
- Party is directed to collect information/data from the units without issuing Memos (HM) and will thereafter do the data analysis at headquarter.
- The audit parties shall follow covid-19 related government guidelines issued/revised from time to time.If any issue arises, they should immediately inform to DAG.

½ kf/kdkj%&i /kku egkys[kkkkj ds vkn's k fnukad 25-06-2021)

s.d./-
उप महालेखाकार
एएमजी-2

PA-ADME Audit Party No. 5

- ny ds l nL; 1.Sh. Nawal Kishore/Sr AO(01/10304)
 2.Sh. Rakesh Kr Singh Chauhan/AAO (02/6193)
 3.Sh. Arvind Yadav/AAO (02/10582)
 4.Sh. Bharat Patel/AAO (02/11087)

Ø-	dk; kÿ;	dk; l fnol	vof/k
i .LFkku% tcyig		fnukad 27-06-21	
	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति एवं सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक	10	28.06.2021 से 09.07.2021
i .LFkku% eMyk		fnukad 10-07-21	
	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति एवं सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक	14	12.07.2021 से 30.07.2021
i .LFkku% Xokfy; j		fnukad 30-07-2021	½ kf=½@31-07-2021
Total days		24	
अवकाश :- जून-27 जुलाई- 3,4,10,11,17,18,21,24,25,31			

दीप-

- पी.ए के लिए कवरेज अवधि तीन वर्ष अर्थात् वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक की होगी।
- लेखा परीक्षा दल द्वारा समीक्षा से सम्बन्धित अनुमोदित ए.डी.एम. गार्ड्ड लाईन के अनुसार औषधि एवं उपकरणों की चिकित्सा संस्थानों में कय, उपयोग, उपलब्धता, भण्डारण, आदि के समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कॉपी/फोटो कॉपी एकत्र कर उनका विस्तृत विश्लेषण मुख्यालय पर किया जावेगा। समीक्षा से सम्बन्धित आवंटन-व्यय, बैंक लेन-देन, रोकड बही, पंजीयों, कय आदेश, टेस्ट रिपोर्ट, चालान, इनवॉइस, इश्यू वाउचर, इनडेण्ट, नोटशीट, नस्ती आदि के अतिरिक्त MIS, E-Aushadhi Portal से जानकारी की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में प्राप्त करेंगे।
- डॉक्टर सर्वे, पेंपेंट सर्वे, ए.डी.एम के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में करना सुनिश्चित करें।
- भण्डारों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया जाना एवं दवाइयों का भण्डार में प्राप्ति/वितरण की जांच सुनिश्चित करें।
- प्रथम दिन इकाई के प्रमुख के साथ प्रारंभिक बैठक में पी.ए के उद्देश्यों एवं लेखापरीक्षा के संबंध में चर्चा कर तथा बैठक का कार्यवृत्त ई-मेल के माध्यम से मुख्यालय अनुभाग को प्रेषित करें तथा अंतिम दिन समापन बैठक में पी.ए के दौरान अप्रस्तुत एवं अप्राप्त अभिलेख/ज्ञापन का उल्लेख करते हुए बैठक का कार्यवृत्त ई-मेल के माध्यम से मुख्यालय को प्रेषित करें।
- PA दल PA से संबंधित योजना/कार्यों का समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कॉपी/फोटो कॉपी एकत्रित करेंगे एवं पी.ए से संबंधित आवंटन-व्यय, बैंक लेन-देन, रोकड बही, पंजियां, फाइलें, कार्य पंजियों के अतिरिक्त PFMS, MIS, Portals से जानकारी की हार्ड एवं सॉफ्टकॉपी में एकत्र करेगा।
- PA के दौरान आधार अभिलेखों का स्केनिंग समुचित रूप से करें ताकि दुबारा आधार अभिलेखों के लिए इकाई पर नहीं जाना पड़े।
- PA के दौरान वांछित अभिलेखों को स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए मांग की जाएं। योजना/नियम अनुसार संधारित होनेवाले अभिलेख/पंजी संधारित न होने एवं वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर तत्काल समूह अधिकारी को सूचित करें।
- पी.ए की लीड पार्टी द्वारा दिए गए निर्देशों/चेकलिस्ट /Guidelines के अनुसार कार्य किया जाना सुनिश्चित करें।
- Any other work as and when directed by higher authorities should also be done by the team members.
- Party is directed to collect information/data from the units without issuing Memos (HM) and will thereafter do the data analysis at headquarter.
- The audit parties shall follow covid-19 related government guidelines issued/revised from time to time.If any issue arises, they should immediately inform to DAG.

½ kf/kdkj %&i /kku egkys[kkckj ds vkns k fnukad 25-06-2021)

s.d./-
 उप महालेखाकार
 एएमजी-2

PA-ADME Audit Party No. 6

- ny ds l nL; 1. Sh. Uday Gwalehkar/Sr AO (01/5809)
 2. Sh. S K Agarwal/AAO (02/6398)
 3. Sh. Jay Prakash/AAO (02/10963)
 4. Sh. Krishna Sagar/DEO (05/111)

Ø-	dk; kly;	dk; l fnol	vof/k
i l Fkku% Xokfy; j		fnukad 28-06-21 i kr%	
	अधिष्ठाता गजरा राजा मेडिकल कालेज ग्वालियर, संयुक्त संचालक सह अधीक्षक जयरोग्य हास्पिटल ग्वालियर	10	28.06.2021 से 09.07.2021
i l Fkku% j rye		fnukad 10-07-21	
	अधिष्ठाता शासकीय मेडिकल कालेज रतलाम	14	12.07.2021 से 30.07.2021
i l Fkku% Xokfy; j		fnukad 30-07-2021 % kf = % @ 31-07-2021	
Total days		24	
अवकाश :- जून-27 जुलाई- 3,4,10,11,17,18,21,24,25,31			

दीप-

- पी.ए के लिए कवरेज अवधि तीन वर्ष अर्थात् वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक की होगी।
- लेखा परीक्षा दल द्वारा समीक्षा से सम्बन्धित अनुमोदित ए.डी.एम. गार्ड लाईन के अनुसार औषधि एवं उपकरणों की चिकित्सा संस्थानों में कय, उपयोग, उपलब्धता, भण्डारण, आदि के समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कॉपी/फोटो कॉपी एकत्र कर उनका विस्तृत विश्लेषण मुख्यालय पर किया जावेगा। समीक्षा से सम्बन्धित आवंटन-व्यय, बैंक लेन-देन, रोकड बही, पंजीयों, कय आदेश, टेस्ट रिपोर्ट, चालान, इनवॉइस, इस्यू वाउचर, इनडेण्ट, नोटशीट, नस्ती आदि के अतिरिक्त MIS, E- Aushadhi Portal से जानकारी की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में प्राप्त करेंगे।
- डॉक्टर सर्वे, पेंपंट सर्वे, ए.डी.एम के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में करना सुनिश्चित करें।
- भण्डारों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया जाना एवं दवाईयों का भण्डार में प्राप्ति/वितरण की जांच सुनिश्चित करें।
- प्रथम दिन इकाई के प्रमुख के साथ प्रारंभिक बैठक में पी.ए के उद्देश्यों एवं लेखापरीक्षा के संबंध में चर्चा कर तथा बैठक का कार्यवृत्त ई-मेल के माध्यम से मुख्यालय अनुभाग को प्रेषित करें तथा अंतिम दिन समापन बैठक में पी.ए के दौरान अप्रस्तुत एवं अप्राप्त अभिलेख/ज्ञापन का उल्लेख करते हुए बैठक का कार्यवृत्त ई-मेल के माध्यम से मुख्यालय को प्रेषित करें।
- PA दल PA से संबंधित योजना/कार्यों का समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कॉपी/फोटो कॉपी एकत्रित करेंगे एवं पी.ए से संबंधित आवंटन-व्यय, बैंक लेन-देन, रोकड बही, पंजियां, फाइलें, कार्य पंजियों के अतिरिक्त PFMS, MIS, Portals से जानकारी की हार्ड एवं सॉफ्टकॉपी में एकत्र करेगा।
- PA के दौरान आधार अभिलेखों का स्केनिंग समुचित रूप से करें ताकि दुबारा आधार अभिलेखों के लिए इकाई पर नहीं जाना पड़े।
- PA के दौरान वांछित अभिलेखों को स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए मांग की जाएं। योजना/नियम अनुसार संधारित होनेवाले अभिलेख/पंजी संधारित न होने एवं वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर तत्काल समूह अधिकारी को सूचित करें।
- पी.ए की लीड पार्टी द्वारा दिए गए निर्देशों/चेकलिस्ट/Guidelines के अनुसार कार्य किया जाना सुनिश्चित करें।
- Any other work as and when directed by higher authorities should also be done by the team members.
- Party is directed to collect information/data from the units without issuing Memos (HM) and will thereafter do the data analysis at headquarter.
- The audit parties shall follow covid-19 related government guidelines issued/revised from time to time.If any issue arises, they should immediately inform to DAG.

% kf/kdkj %&i /kku egkys[kdkj ds vks' k fnukad 25-06-2021)

s.d./-
 उप महालेखाकार
 एएमजी-2

PA-ADME Audit Party No. 7

- ny ds l nL; 1.Sh. Shyamacharan/Sr AO (01/6567)
 2. Sh. Pramod Chaurasia/AAO (02/6430)
 3. Sh. Ratan Lal Bagariya/AAO (02/10588)
 4. Sh. Devi Singh Meena/AAO (02/11463)

Ø-	dk; kly;	dk; l fnol	vof/k
	i .LFkku% Hkksi ky	fnukad 27-06-21	
	अधिष्ठाता गांधी मेडिकल कालेज भोपाल, संयुक्त संचालक सह अधीक्षक हमीदीया हास्पिटल भोपाल एवं सहायक अधीक्षक, सुल्तानिया हॉस्पिटल, भोपाल	10	28.06.2021 से 09.07.2021
	i .LFkku% fNnokMk	fnukad 10-07-21	
	अधिष्ठाता शासकीय मेडिकल कालेज, छिंदवाडा	14	12.07.2021 से 30.07.2021
	i .LFkku%okfy; j	fnukad 30-07-2021 %j kf=%@31-07-2021	
Total days		24	
अवकाश :- जून-27 जुलाई- 3,4,10,11,17,18,21,24,25,31			

दीप-

- पी.ए के लिए कवरेज अवधि तीन वर्ष अर्थात् वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक की होगी।
- लेखा परीक्षा दल द्वारा समीक्षा से सम्बन्धित अनुमोदित ए.डी.एम. गार्ड्ड लाईन के अनुसार औषधि एवं उपकरणों की चिकित्सा संस्थानों में क्रय, उपयोग, उपलब्धता, भण्डारण, आदि के समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कॉपी/फोटो कॉपी एकत्र कर उनका विस्तृत विश्लेषण मुख्यालय पर किया जावेगा। समीक्षा से सम्बन्धित आवंटन-व्यय, बैंक लेन-देन, रोकड बही, पंजीयों, क्रय आदेश, टेस्ट रिपोर्ट, चालान, इनवॉइस, इस्सू वाउचर, इनडेण्ट, नोटशीट, नस्ती आदि के अतिरिक्त MIS, E-Aushadhi Portal से जानकारी की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में प्राप्त करेंगे।
- डॉक्टर सर्वे, पेंपंट सर्वे, ए.डी.एम के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में करना सुनिश्चित करें।
- भण्डारों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया जाना एवं दवाईयों का भण्डार में प्राप्ति/वितरण की जांच सुनिश्चित करें।
- प्रथम दिन इकाई के प्रमुख के साथ प्रारंभिक बैठक में पी.ए के उद्देश्यों एवं लेखापरीक्षा के संबंध में चर्चा कर तथा बैठक का कार्यवृत्त ई-मेल के माध्यम से मुख्यालय अनुभाग को प्रेषित करें तथा अंतिम दिन समापन बैठक में पी.ए के दौरान अप्रस्तुत एवं अप्राप्त अभिलेख/ज्ञापन का उल्लेख करते हुए बैठक का कार्यवृत्त ई-मेल के माध्यम से मुख्यालय को प्रेषित करें।
- PA दल PA से संबंधित योजना/कार्यों का समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कॉपी/फोटो कॉपी एकत्रित करेंगे एवं पी.ए से संबंधित आवंटन-व्यय, बैंक लेन-देन, रोकड बही, पंजियां, फाइलें, कार्य पंजियों के अतिरिक्त PFMS, MIS, Portals से जानकारी की हार्ड एवं सॉफ्टकॉपी में एकत्र करेगा।
- PA के दौरान आधार अभिलेखों का स्केनिंग समुचित रूप से करें ताकि दुबारा आधार अभिलेखों के लिए इकाई पर नहीं जाना पड़े।
- PA के दौरान वांछित अभिलेखों को स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए मांग की जाएं। योजना/नियम अनुसार संधारित होनेवाले अभिलेख/पंजी संधारित न होने एवं वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर तत्काल समूह अधिकारी को सूचित करें।
- पी.ए की लीड पार्टी द्वारा दिए गए निर्देशों/चेकलिस्ट/Guidelines के अनुसार कार्य किया जाना सुनिश्चित करें।
- Any other work as and when directed by higher authorities should also be done by the team members.
- Party is directed to collect information/data from the units without issuing Memos (HM) and will thereafter do the data analysis at headquarter.
- The audit parties shall follow covid-19 related government guidelines issued/revised from time to time.If any issue arises, they should immediately inform to DAG.

%i kf/kdkj %&i /kku egkys[kdkj ds vkn's k fnukad 25-06-2021)

s.d./-
 उप महालेखाकार
 एएमजी-2